

tations have been received in this regard. Government do not propose to take further steps in this matter for the present in view of the fact that Government have already announced the setting up of a new pay Commission. No representation from the All-India Railway Federation has been received on the point.

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के मामले में पांच करोड़ रुपये तक की पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेंस लेने से छूट

* 706. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस देने की अपनी नीति को उदार बनाने के लिए सरकार ने पांच करोड़ रुपये तक की पूंजी वाले उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस देने की छूट दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस छूट पर विदेशी मुद्रा संबंधी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं;

(ग) क्या उक्त प्रतिबंध विदेश में रहने वाले उस भारतीय नागरिक पर भी लागू होंगे जो अपनी विदेशी मुद्रा में से पांच करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करना चाहता हो; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री कृष्णवर्दीन अली-अहमद) : (क) से (घ). हाल ही में सरकार द्वारा घोषित संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार ऐसे औद्योगिक उपक्रमों, जिनकी भूमि, भवन संयंत्र तथा मशीनों के रूप में अचल आस्तियां 1 करोड़ रु० से कम हों, को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से कुछ शर्तों के साथ मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ शर्तों के अधीन ऐसे औद्योगिक उप-

क्रमों, जिनकी अचल आस्तियां 5 करोड़ से अधिक न हों, को वर्तमान उपक्रमों में अधिकतम कुल 1 करोड़ रु० तक का और विनियोजन करके उसके पर्याप्त विस्तार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि इस विस्तार से उसकी अचल आस्तियों का मूल्य 5 करोड़ रु० से न बढ़ जाए। इन शर्तों में से एक शर्त यह है कि विनियोजन में प्रस्तावित विस्तार की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिए न चाहिए हो और कच्चे माल इत्यादि के आयात के लिए उपांत राशि को छोड़कर, आवश्यकता न हो, इसके अतिरिक्त उपक्रमों के कुछ वर्गों जैसे विदेशी कम्पनियां (उनकी शाखाएं तथा भारत में उनकी सहायक कम्पनियों सहित), भी इस प्रकार की छूट की हकदार नहीं होगी। विदेशी कम्पनी की परिभाषा में ऐसी सभी कम्पनियां सम्मिलित हैं जिनमें प्रदत्त अंश पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के अंश विदेशों में पंजीकृत कम्पनियों, विदेशियों अथवा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हाथ में हों। विदेशी मुद्रा की पेचदगियों को देखते हुए लाभांश और अन्य इसी प्रकार की राशि को भेजने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी इस प्रयोजन के लिए विदेशी समझा जाता है।

Visit by West German Delegation to Rourkela Steel Plant

* 707. SHRI R. V. NAIK:
SHRI J. MOHAMED IMAM:
SHRI K. M. KUSHIK:
SHRI R. R. SINGH DEO:
SHRI K. P. SINGH DEO:

Will the Minister of STEEL and HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

(a) whether the West German foreign Minister recently visited India along with financial and technical experts from his country;

(b) whether there were discussions between the Government of India and the West German Delegation regarding expansion of the Rourkela Steel Plant; and